POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.04.2025

1.सीआरटी टीम व थाना बादलपुर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 149 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये व एक ट्रक/कन्टेनर बरामद। डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा खुलासा/गिरफ्तार करने वाली टीम को ₹25000 का पुरस्कार उत्साह वर्धन हेतु दिया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.04.2025 को सीआरटी टीम व थाना बादलपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 गांजा तस्कर अभियुक्तों 1. इनामुलहक पुत्र जमील 2. शहनवाज पुत्र इसराइल 3. नोमान पुत्र फकरे आलम को अम्बुजा कम्पनी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इस पूरे गैग का सरगना इनामुलहक है। इनामुलहक पहले भी इसी तरह के अपराध मे जेल जा चुका है, कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है। जेल से छूटने के पश्चात यह एक संगठन बनाकर अपराध में सलिंप्त हुआ तथा समान को ढोने वाली गाडियो के माध्यम से अवैध गाँजा छुपाकर जगह जगह सप्लाई करता है, इनामुलहक ने बताया कि यह गाँजा तनकू, उडीसा व आन्ध्रप्रदेश ,बिहार बार्डर से लाते है और कन्टेनर मे नीचे एक लोहे का अलग से बाक्स बना रखा है जिसमे छिपाकर नाजायज गाँजा भर लेते है, जिससे की जल्दी से कोई पकड नही पाता है। पूछने पर यह बताया कि यह गांजा उच्च क्वालिटी का है जिसे कई महीनो तक सुखा कर दबा कर चप्पडो के रूप विकसित करने के पश्चात बाजार मे बेचने के लिये लेकर निकलते है। उडीसा और आन्ध्रप्रदेश के इलाको मे तथा पर्वतीय क्षेत्रो मे पाये जाने वाले विशेष पत्तियो को बार बार उलट पलट कर सुखाकर दबाकर एवं उसमे एक विशेष रासायनिक परिवर्तन कर तैयार कराया जाता है कि जिससे कि इसकी मादक क्षमता कई गुना बढ जाती है एवं इसलिये इसकी माँग अधिक होने के कारण इसकी कीमत भी सामान्य गाँजे से कई गुना अधिक हो जाती है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया कि विशेष गाँजे की विशेष मादकता के कारण इसकी कीमत करीब 25-30 हजार रूपये प्रति किलोग्राम है। अभियुक्त ने बताया कि मैं दादरी में सलमान नाम के व्यक्ति को माल देता हूं। इनामुलहक ने यह भी बताया कि बरामद गाँजे की बाजार कीमत लगभग चालीस लाख रूपये है। जो कि इनके द्वारा कई महीनो मे प्राप्त की जाती है। इनामुलहक द्वारा यह भी बताया गया कि यह पूर्व में ट्रेन से मादक पदार्थो की तस्करी करता रहा है जिसके कारण वह ज्यादा माल नही ला पाता था इसलिए कन्टेनर गाडी से मादक पदार्थ की तस्करी शुरू की ताकि ज्यादा मात्रा मे मादक पदार्थ को लाया जा सके और मुनाफा बढाया जा सके। उसके द्वारा यह कार्य विगत करीब 05 वर्षो से किया जा रहा है। पूर्व मे जनपद नागपुर (महाराष्ट्र) मे भी यह मादक पदार्थ की तस्करी मे गिरफ्तार हुआ है जिसके विषय मे नागपुर पुलिस से

सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को ₹25000 का पुरस्कार उत्साह वर्धन हेतु दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. इनामुलहक पुत्र जमील निवासी भैंसरहेडी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 35 वर्ष-(कक्षा 7वी तक पढा है)
2. शहनवाज पुत्र इसराइल निवासी भैंसरहेडी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 48 वर्ष-(कक्षा 5वी तक पढा है)
3. नोमान पुत्र फकरे आलम निवासी भैंसरहेडी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 28 वर्ष -(कक्षा 10वी तक पढा है)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 104/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर सेन्ट्रल नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 149 किलो गाँजा कीमत लगभग 40 लाख रूपये
2. घटना मे प्रयुक्त एक ट्रक/कन्टेनर रजि0 यूपी 12 सीटी 8712

2.थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी/छीनने वाले 02 चोर/लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छीने गये 04 मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू एवं घटना में प्रयुक्त आर-15 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.04.2025 को थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर मोबाइल फोन चोरी करने एवं छीनने वाले 02 शातिर चोर/लुटेरे अभियुक्त 1.अभिषेक पुत्र रामता प्रसाद 2-सोनू कुमार पुत्र स्व0 जगदीश को एफएनजी सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी/छीने गये 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त आर-15 मोटरसाइकिल नं0 यूपी 16 डीयू 6342 एवं 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

घटनाक्रम का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के चोर/लुटेरे अपराधी है, जो एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर मोबाइल फोन चोरी करने एवं छीनने जैसे अपराध कारित करते है तथा चोरी/छीने गये मोबाइल फोन को यह लोग अपनी मजबूरी बताकर राह चलते व्यक्तियो को सस्ते दामों में बेच देते थे। अभियुक्तगण से बरामद एवं घटना में प्रयुक्त मो◌ेटरसाइकिल नं0 यूपी 16 डीयू 6342 को ई चालान एप पर चैक किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त अभिषेक की माता के नाम पंजीकृत मिली। अभियुक्तगण द्वारा इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर राह चलते व्यक्तियो से मोबाइल फोन छीने जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अभिषेक पुत्र रामता प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम चरई भट्टा थाना सदर जिला फतेहपुर हाल पता किराये का मकान गली नं0 06 सैक्टर 66 मामूरा थाना फेस-3, नोएडा (उम्र 20 वर्ष)
2. सोनू कुमार पुत्र स्व0 जगदीश निवासी बल्लिया थाना भमोरा जिला बरेली गली नं0 7 वैशाली अपार्टमेन्ट सैक्टर 66 मामूरा थाना फेस-3, नोएडा (उम्र 21 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 170/2025 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सैक्टर 63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी/छीने गये 04 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी)
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आर-15 नं0 यूपी 16 डीयू 6342
3. 02 अवैध चाकू

3.थाना फेस-3 पुलिस द्वारा मसाज पार्लर के नाम पर लोगो से पैसे ऐंठने/धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय/इलैक्ट्रानिक सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये **दिनांक 13.04.2025** को पर्थला ओवरब्रिज के नीचे से मु0अ0सं0 155/2025 धारा 308(2) बीएनस से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शिवम शर्मा पुत्र विनोद शर्मा 2.रोहित पुत्र योगेश कुमार 3.राजन उर्फ राजू पुत्र नारायण सिंह को **गिरफ्तार** किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 मोबाईल फोन बरामद हुए है तथा फरार अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

घटनाक्रम का विवरण-- इन तीनो अभियुक्तों ने मिलकर ऑनलाईन जस्ट डायल एप पर रॉयल मसाज थेरेपी सै0-70 के नाम से जस्ट डायल पर लिस्टिंग किया था। मसाज के लिए लड़की बुक होने पर आरोपी शिवम व रोहित का काम कॉलर को कॉल बेक करते हुए अच्छी सुविधा व मसाज कराने का वादा करते हुए बताये गये स्थान पर इनके साथी राजन द्वारा बुक की गयी लड़की को ले जाया जाता था, यदि कॉलर/लड़का अकेला है तो अभियुक्तगण द्वारा लड़की के साथ फोटो खीचकर लड़के को डरा धमकाकर समाज का भय दिखाकर रुपया नगद/ऑनलाईन ले लेते थे। जिस लड्की की फोटो ये कॉलर को भेजते है उससे अलग लड़की ले जाते है जिसे देखकर कॉलर मसाज कराने को मना कर देता है तो ये लोग कॉलर को डरा धमकाकर कॉलर/ग्राहक को उनकी उस लड़की के साथ वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने की बात का भय दिखाकर उनसे रुपये ऑनलाईन ट्रांसफर व नकद ले लेते है। कॉलर द्वारा समाज के डर से रुपया नगद व ऑनलाईन दे दिया जाता है यह कार्य करीब एक वर्ष से अभियुक्तगण द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम शर्मा पुत्र विनोद शर्मा नि0-आवास विकास कॉलोनी थाना सिकन्दरा आगरा हाल पता रॉयल अपार्टमेण्ट गली न0-7 ममूरा नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. रोहित पुत्र योगेश कुमार नि0- सै0-1 बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा हाल पता- रॉयल अपार्टमेण्ट गली न0-7 ममूरा नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. राजन उर्फ राजू पुत्र नारायण सिंह नि0-विश्वकर्मा नगर हीरोहोण्डा चौक सै0-10 गुरुग्राम हरियाणा

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 155/2025 धारा-308(2) बीएनएस थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 05 मोबाईल फोन घटनाओं से सम्बन्धित